प्रेस नोट 11.04.2021

<u>मुख्तार अंसारी अपराधिक गिरोह के सहयोगी 02 अपराधियों सहित कुल 07 अभ्यासतन अपराधियों के विरूद्ध की गयी जिलाबदर की कार्यवाही–</u>

आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दृष्टिगत जनपद में कानून व व्यवस्था बनाये रखने हेतु पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सुशील घुले की रिपोर्ट पर जिलाधिकारी मऊ अमित सिंह बंसल द्वारा माफिया मुख्तार अंसारी अपराधिक गिरोह के सहयोगी 02 अपराधियों सहित कुल 07 अभ्यासतन अपराधियों के विरूद्ध जिलाबदर की कार्यवाही की गयी है जिनका विवरण निम्नवत है–

मुख्तार अंसारी गिरोह के सहयोगी–

1 . तन्मय राय पुत्र विनोद राय निवासी सहरोज थाना कोपागंज जनपद मऊ (06 माह)

2 . अकिंत राय पुत्र ध्रुवदंत्त राय निवासी सहरोज थाना कोपागंज जनपद मऊ (06 माह)

अन्य–

3 . खुर्शीद अहमद पुत्र शमशुद्दीन अहमद निवासी रोपनपुर थाना मधुबन जनपद मऊ (06 माह)

4 . प्रमोद यादव पुत्र रामबदन यादव निवासी शाहपुर थाना दोहरीघाट जनपद मऊ (06 माह)

5 . सनोज राजभर पुत्र शिवचरन राजभर निवासी तिघरा डढ़िया थाना घोसी जनपद मऊ (06 माह)

6 . बाला पुत्र दूधनाथ निवासी तिघरा डढ़िया थाना घोसी जनपद मऊ (06 माह)

7 . विशाल राजभर उर्फ जमजेर पुत्र रामजनम राजभर उर्फ चुन्नु राजभर निवासी तिघरा डढ़िया थाना घोसी जनपद मऊ (06 माह)

<u>अवैध तमंचा व कारतूस के साथ एक शातिर गिरफ्तार–</u>

आज दिनांक 11.04.2021 को थाना कोपागंज पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान हीकमा चट्टी के पास से रविप्रकाश त्रिपाठी पुत्र स्व0 राजविजय त्रिपाठी निवासी भदसा मानोपुर थाना कोपागंज जनपद मऊ के कब्जे से एक अवैध तमंचा व एक अदद जिंदा कारतूस 12 बोर बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 123ध्21 धारा 3ध्25 आयुद्य अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

<u>40 लीटर अवैध कच्ची शराब तथा 32 शीशी देशी शराब के साथ 02 गिरफ्तार–</u>

आज दिनांक 11.04.2021 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना घोसी पुलिस द्वारा चिरैयाडाह के पास से राकेश सोनकर पुत्र कांता सोनकर निवासी चिरैयाडाहह थाना कोपागंज जनपद मऊ के कब्जे से प्लास्टिक के जरिकेन में 40 लीटर अवैध कच्ची शराब, थाना सरायलखंसी पुलिस द्वारा कहिनौर रेलवे क्रासिंग के पास से मूकेश कुमार पुत्र मून्ना राम निवासी कासिम पोखरा थाना कोतवाली जनपद मऊ के कब्जे से 32 शीशी बन्टी बबली (200 मिली) अवैध देशी शराब बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्त के विरूद्ध थाना सम्बन्धित पर धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।